न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
68/2021	23.06.2021	2.8.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री जवाहर लाल जैन (आर.ए.एस.)

समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर

1. हरिलाल पुत्र नारायण
2. राहुल पुत्र प्यारेलाल
3. रिंकी पुत्री प्यारेलाल
4. सियाराम पुत्र प्यारेलाल
5. सीताराम पुत्र प्यारेलाल
6. किरोड़ी पुत्र नारायण
7. कलिया पत्नि प्यारेलाल
8. पानबाई पत्नि नारायण
9. रामसिंह पुत्र नारायण

प्रार्थीगण

बनाम

समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर

1. गिर्राज पुत्र हरीचंद
2. घमण्डी पुत्र हरीचंद
3. गिर्राज पुत्र हरमुख

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:– नि र्ण य :–

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत् धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि

1. यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 346 रकबा 1.10 है0 ग्राम फुलवाड़ा में स्थित है।
2. यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, ख0नं0 341 व 342 अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा ख0नं0 345 अप्रार्थी सं0 3 के नाम है जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 3 एक ही व्यक्ति का नाम है अप्रार्थी सं0 1 द्वारा हरमुख की जमीन को भी अपने नाम दर्ज करवा रखा है इसलिए स्वयं के बाप का नाम हरमुख भी अंकित करवा रखा है।
3. यह कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 346 की पश्चिमी मेड पर विवाद करते रहते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कुछ दिन पूर्व ही

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स.मा.)

पश्चिमी मेड को नष्ट कर दिया था। प्रार्थीगण द्वारा पुनः अपनी पश्चिमी मेड निर्धारित करने के लिए प्रार्थना पत्र तहसील वजीरपुर में पेश किया था जिसमें दो हल्का पटवारी व गिरदावर सीमाज्ञान करने पहुंचे थे लेकिन अप्रार्थीगण स्वयं ने अपने घर की औरतों को मौके पर बुला लिया तथा सीमाज्ञान नहीं होने दिया, इस पर तहसीलदार स्वयं दिनांक 11.06.2021 को सीमाज्ञान करवाने के लिए खेत पर गया तथा तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया।

4. यह कि प्रार्थीगण आये दिन होने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए अपनी खातेदारी भूमि हाल ख0नं0346 की पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण पत्थर गढी करवाना चाहते है, जिससे दोनों पक्ष शांति से भूमि का उपयोग उपभोग कर सके तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद ना हो। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 346 स्थित ग्राम फुलवाडा की पश्चिमी मेड से उत्तर से दक्षिण पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार बहस की एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 346 रकबा 1.10 ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावें। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावें कि वह आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद लेकर मौके पर जाकर स्वंय विवादित भूमि को पत्थरगढ़ी करावें।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन पर पाया कि प्रार्थी का केस प्रमाणित है। अतः मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि भूमि ख0नं0 346 रकबा 1.10 हेक्टर ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर पर किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो खसरा नं. 346 रकबा 1.10 हेक्टर ग्राम फुलवाड़ा तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर